प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 18 अक्टूबर, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज हेतु मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एंव संयत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानित अतिरिक्त धनराशि की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2024-25/234, दिनांक 12.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाकुम्भ मेला प्रयागराज-2025 के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज में 05 परियोजनाओं हेतु ए0सी0/फर्नीचर, जिनकी कुल लागत रू0 248.74 लाख है, को मानक मद-26 मशीने और राज्जा/उपकरण संयंत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक-4210-03-105-40-राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के मानक मद-26 मशीने और राज्जा/उपकरण संयंत्र मद में पुनर्विनियोग (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) के माध्यम से उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि **रू0 248.74 लाख (रुपये दो करोड़ अड़तालिस हजार चौहत्तर हजार मात्र)** को **महाकुम्भ मेला प्रयागराज-2025 के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज में निम्नलिखित 05 परियोजनाओं हेतु ए0सी0/फर्नीचर के क्रय** हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	कार्य का नाम	लागत (रू0 लाख में)
1	स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में केन्द्रीय डायग्नोसिस सेंटर, आधुनिक ब्लड बैंक, यूजर काउण्टर की स्थापना का कार्य हेतु आवश्यक ए0सी0/फर्नीचर।	27.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में ओ0पी0डी0 एंव प्रतीक्षालय निर्माण कार्य हेतु आवश्यक ए0सी0/फर्नीचर।	47.80
3	मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज में पंजीकरण काउण्टर, प्रतीक्षालय तथा मुख्य द्वार एवं सुरक्षा केबिन निर्माण कार्य हेतु आवश्यक ए0सी0/फर्नीचर।	15.23
4	मेडिकल कालेज परिसर में अतिथि गृह का निर्माण कार्य हेतु आवश्यक ए0सी0/फर्नीचर।	32.21
5	स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में प्लास्टिक/बर्न वार्ड के विस्तार हेतु 20 शैय्याओं हेतु वार्ड निर्माण कार्य। (टॉयलेट्स एंव बेड लिफ्ट का निर्माण हेतु आवश्यक ए0सी0/फर्नीचर)	126.37
	कुल योग-	**248.74**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में अनावश्यक नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
11. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 2,48,74,000 (रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054000 मेडिकल कालेज, प्रयागराज **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, , प्रयागराज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, , प्रयागराज।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/ स्वीकृति

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2024-25-71-1002/70/2023-

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाकुम्भ 2025 प्रयागराज के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में ए0सी0/फर्नीचर क्रय हेतु मानक मद 26-मशीने और राज्जा/उपकरण संयंत्र मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	42100310540000 (मेडिकल कालेज, प्रयागराज)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड़ मात्र	11,96,39,000 रुपये ग्यारह करोड़ छियानबे लाख उनतालीस हजार मात्र	-2,48,74,000 रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र	-	-	2024 - 2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	42100310540000 (मेडिकल कालेज, प्रयागराज)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	2,48,74,000 रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख चौहत्तर हजार मात्र	-	-	2024 - 2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के अंतर्गत मानक मद-24-वृहत निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 248.74 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

महाकुम्भ मेला 2024 प्रयागराज दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज की विभिन्न 05 परियोजनाओं हेतु ए0सी0/फर्नीचर के क्रय के निमित्त रू0 248.74 लाख पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:आर ई-बजट-1-89, दिनांक 04.10.2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
अनु सचिव।

संख्या/दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।